

देहरादून दिनांक 24 अगस्त, 2009

कार्यालय-ज्ञाप

विषय:- प्रसूति अवकाश की सीमा में 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किये जाने के सम्बन्ध में

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-4-394 / दस-99-216 / 79 दिनांक 4 जून 1999 द्वारा स्थायी एवं अस्थायी महिला सरकारी सेवकों को 135 दिन का प्रसूति अवकाश प्रदान किया गया था।

2. उक्त शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय सहायित कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-4-394 / दस-99-216 / 79 दिनांक 4 जून 1999 को अतिरिक्त करते हुए प्रसूति अवकाश के सम्बन्ध में वित्तीय विस्तार पत्रिका खण्ड-2 भाग-2 से 4 के सहायक नियम 153(1) के अधीन सम्पूर्ण राज्यालयों में दो बार तक प्रसूति अवकाश लागू अन्य शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवकाश प्रारम्भ होने की कोशिश से 135 दिन से बढ़ाकर अधिकतम 180 दिन करने की श्री राज्यपाल महोदय सहित स्वीकृति प्रदान है।

3. उक्त व्यवस्था विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण प्रारम्भिक शिक्षण संस्थाओं के महिला शिक्षकों (यू0 जी0 सी0 ए0 आई0 सी0 टी0 ई0 आई0 सी0 ए0 आर0 सी0) तथा मानव संसाधन से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं की शिक्षणोत्तर महिला कर्मचारियों के लिये भी लागू होगी।

4. उक्त नियम की अन्य शर्तें यथावत प्रभावी रहेंगी।

5. उक्त आदेश दिनांक तत्कालिक प्रभाव से प्रभावी होगा।

6. उक्त अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय किया जायेगा।

(आलोक कुमार जैन)  
प्रमुख सचिव सचिव।

संख्या: 250/XXVI(7)/2009 तददिनांक  
(1)/XXVII(7)/2009

विषय: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. महासचिव कार उल्लेखखण्ड देहरादून।
2. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. सजिस्ट्रार कमिश्नर, उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
6. सहायक विभागाध्यक्ष / कार्यालयध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. सहायक कार्याधीक्षक, उत्तराखण्ड।
8. सहायक आहरण एवं वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से  
(टी0 एन0 सिंह)  
अपर सचिव।